न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मन मोहन मीना , आर ए एस
प्रार्थना पत्र संख्या :– ~~08/2020~~ 01/2018

उनवान

1 हनुमान
2 बद्री } पि0 कन्हैया जाति जाट निवासी ढाणी आन्धलियावास वार्ड नं0 6 नयाबास तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

बनाम

1 कालूराम पुत्र सौना जाति जाट निवासी ढाणी बट्टावाली नयाबास तहसील शाहपुरा (नाम हजफ)
2 सुरजमल
3 लक्ष्मीनारायण
4 जगदीश
5 प्रकाश } पि0 घीसा जातिगण जाट निवासी ढाणी आन्धलियावास वार्ड नं0 6 नयाबास तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
7 नायब तहसीलदार उप तहसील अमरसर जिला जयपुर
8 शाखा प्रबन्धक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बिलान्दरपुर तहसील शाहपुरा
9 शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा धवली तहसील शाहपुरा

प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा –251 क की उप धारा (1) संशोधन अधिनियम 2010

आदेश दिनांक 5.11.2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा –251 क की उप धारा (1) के तहत पेश किया गया कि प्रार्थीगण की भूमि आ0,ख0नं0 1477 रकबा 1.19 है0, 1478 रकबा 1.35 है0, 1479 रकबा 0.30 है0 कुल किता 3 रकबा 2.84 है वाके ग्राम नयाबास तहसील शाहपुरा स्थित है जिसमे प्रार्थीया खातेदार काश्तकार है तथा ख0नं0 1475 रकबा 2.23 है0, 1476 रकबा 1.37 है0 वाके ग्राम नयाबास तहसील शाहपुरा स्थित है जिसके अप्रार्थीगण सं0 1 व 5 खातेदार काश्तकार है । प्रार्थीगण की भूमि 1477 में आने जाने हेतु आराजी खसरा नम्बर 1462 गै0मु0 रास्ता के लगती 1475 व 1476 अप्राथ्रीगण की भूमि आती है। अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1475 व 1476 ग्राम नयाबास तहसील शाहपुरा में से रास्ता हेतु आवेदन किया गया । प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई तथा तहसीलदार शाहपुरा से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई । अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कि किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 1343, 1466, 1465 जो खातेदारी भूमि है उनके खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है इसके अलावा ख0नं0 1462 से पूर्व में ख0नं0 1461, 1460, 1459, 1458 स्थित है ख0नं0 1477, 1478, 1479या इसके किसी भाग में कोई रास्ता कभी भी नहीं रहा है एवं न ही वर्तमान में ही रहा है । प्रार्थीगण की खातेदारी 1477 के दक्षिणी पश्चिमी कोने से ग्राम सेपटपुरा के ख0नं0 847 में होता हुआ ख0नं0 1427/1, 1478, 1479 में से भी रास्ता प्राप्त कर सकना जाहिर किया गया ।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रस्तावित आराजी खसरा नम्बर में14175 व 1476 में जो प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तावित रास्ते हेतु आवेदन किया गया है जो पहुॅच मार्ग नहीं बनना एवं विधि सम्मत नही होना बताया है। तहसीलदार शाहपुरा के द्वारा सेपटपुरा से गोनाका सर डामर सड़क से आराजी खसरा नम्बर 1466, 1464, 1463, 1465, 1475, 1476 में बनता है जो काफी लम्बा है तथा खातेदारों को पक्षकार भी नहीं बनाया गया है। वकील उभय पक्ष की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थी द्वारा जो रास्ता हेतु आवेदन किया गया है वह विधि सम्मन नहीं होना तहसीलदार शाहपुरा की रिपोर्ट से स्पष्ट है तथा अन्य जो तहसीलदार शाहपुरा ने रास्ता प्रस्तावित किया है उन खातेदारों को प्रार्थीगण के द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया है। इस प्रकार प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहुॅच मार्ग हेतु न्यूनतम दूरी का रास्ता दिया जाना उचित समझते है लेकिन प्रार्थीगण के द्वारा पक्षकार नहीं बनाये जाने से किसी पक्ष की भूमि में बिना सुने रास्ता दिया जाना उचित नहीं समझते है तथा प्रकरण में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा –251 क की उप धारा (1) संशोधन अधिनियम 2010 न्यायिक दृष्टि से पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम दूरी के नवीन रास्ता हेतु आवेदन के लिए विधिवत स्वतंत्र रहेगे।

निर्णय आज दिनांक 5/11/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(मनमोहन मीना)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर